न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघल आर.ए.एस.)

मिसल नं0 558 / दावा / 2014
दायरा दि0 28 / 02 / 2014

उनवान

1. श्रीमती सतोषबाई पुत्री गजानन्द पत्नि अशोककुमार जाति खाती निवासी खानपुर हाल मुकाम अल्दान तहसील अटरू जिला बारां
2. महेंद्रकुमार पुत्र प्रहलाद जाति खाती निवासी म0नं0 1 बी 22 महावीर नगर III कोटा

— वादीगण

बनाम

1. आशाबाई पत्नि मदनलाल जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
2. प्रेमबाई पुत्री गजानन्द पत्नि ओमप्रकाश जाति खाती नि0 ननावता हाल मुकाम खानपुर
3. मदन पुत्र गजानन्द जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
4. विजयकुमार पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
5. तिलकराज पुत्र मोहनलाल जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
6. नीतू पुत्री मोहनलाल जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
7. कैलाशबाई पत्नि मोहनलाल जाति खाती निवासी खानपुर तह0 खानपुर
8. मधु पुत्री प्रहलाद पत्नि राकेश जाति खाती निवासी अशोकनगर तह0 अशोकनगर जिला गुना (मध्यप्रदेश)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 25 / 04 / 2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है। वादी ने यह वाद धारा 53, 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2038–41 में ख0नं0 1471 की 3.014 बीघा आराजी गजानन्द पुत्र भैरूलाल जाति खाती निवासी खानपुर के खाते व कब्जे काश्त की थी। गजानंद की मृत्यु के पश्चात इंतकाल नं0 1242 दि0 5.7.01 से मोहनलाल, मदनलाल व भंवरीबाई के नाम हिस्सा बराबर से खाते दर्ज हुई है। आपसी सहमति से आराजी का विभाजन होने के उपरांत इंतकाल नं0 1311 दि0 4.5.02 से उक्त खातेदारों का खाता अलग अलग हो गया, जिसके अनुसार मोहनलाल के हिस्से में ख0नं0 1471 की पूरब दिशा की 1.06 बीघा, मदनलाल के हिस्से मे ख0नं0 1471/2 की पश्चिम दिशा की 1.04 बीघा व भंवरीबाई के हिस्से मे ख0नं0 1471 की मध्य वाली 1.04 बीघा आरजी दर्ज हुई। मोहनलाल व मदनलाल मृतक गजानंद के पुत्र व भंवरीबाई मृतक गजानंद की पत्नि है। गजानंद के पुत्र मोहनलाल की मृत्यु के पश्चात ख0नं0 1471 की 1.06 बीघा आराजी उसके दोनों पुत्र, पुत्री व बेवा जो प्रति0नं0 4 लग0 7 के खाते दर्ज हुई है। ख0नं0 1471/2784 रकबा 1.04 बीघा मदनलाल के खाते दर्ज है तथा भंवरीबाई के खाते में ख0नं0 1471/2785 दर्ज हुई है। भंवरीबाई ने अपने हिस्से में आराजी में से 666.66 वर्गमीटर भूमि कृषि से आबादी भूमि में परिवर्तन करा लिया है, इसके बाद 01 बीघा 1.5 बिस्वा कृषि भूमि शेष बचती है। वादी नं0 1 भंवरीबाई की पुत्री है तथा वादी नं0 2 महेंद्र, भंवरीबाई की पुत्री गीताबाई का लड़का है। भंवरीबाई ने दिनांक 25.11.2005 को उप पंजीयक खानपुर के यहां अपनी अंतिम वसीयत पंजीकृत करायी थी, असल वसीयत मदनलाल के पास है।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

उसकी फोटो प्रति पेश है। खातेदार भंवरीबाई की मृत्यु पर हमने वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने हेतू तहसीलदार साहब खानपुर को प्रार्थना–पत्र पेश किया था किन्तु उन्होंने हमें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इंतकाल नं0 2329/5.2.04 वादी नं0 1 व प्रति0नं0 2 लगा0 7 के नाम तस्दीक कर दिया जो कानून के विरूद्ध है, इंतकाल में गजानंद की मृतक पुत्री गीताबाई का नाम भी दर्ज कर दिया गया है, जो कानून के विरूद्ध है। मृतक गीताबाई के वारिस वादी नं0 2 व प्रति0 नं0 8 है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदार भंवरीबाई के खाते की शेष कृषि भूमि ख0नं0 1471/2785 की 01 बीघा 1.5 बिस्वा का वादीगण व प्रतिवादी आशा, प्रेमबाई को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रति0नं0 2 लगा0 7 खाते में नाम होने से इस आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, ऐसे में इनको स्थाई निषेधाज्ञा से पायन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादीगण मय खर्चा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाये तथा ग्राम खानपुर की ख0नं0 1471/2785 की 01 बीघा 1.5 बिस्वा आराजी का वादीगण व प्रति0नं0 1, 2 को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रति0नं0 3 लगा0 7 का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा वादीगण के 1/2 हिस्से का विधिवत विभाजन किया जाये। अलग खाता व लगान कायम किया जावे। नक्शा ट्रेस में भी अंकन किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि यह वादग्रस्त आराजी को वाद के निस्तारण तक खुर्द बुर्द नहीं करें न किसी को अंतरण करें।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 की ओर से श्री लेखराजसिंह चंद्रावत एडवोकेट द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया एवं प्रति0नं0 8 की ओर से श्री अनिल गेहता एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया। प्रति0नं0 8 के अधिवक्ता ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया, वहीं दिनांक 14.03.2018 को प्रतिवादी नं0 8 व इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गयी तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी साक्ष्य में वादी संतोषबाई, महेंद्र के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगायत Exp7 प्रदर्श कराये गये। दिनांक 02.04.2019 को वादीगण एवं प्रति0नं0 1, 2, 3 ने अपने–अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी मदनलाल के बयान दर्ज कराये गये। दिनांक 16.04.2019 को प्रतिवादी नं0 4, 5, 6, 7 एवं इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम खानपुर की ख0नं0 1471 की 3.014 बीघा आराजी गजानन्द खाती निवासी खानपुर के खाते की थी। गजानंद की मृत्यु के पश्चात यह मोहनलाल, मदनलाल व भंवरीबाई के खाते दर्ज हुई है। आपसी सहमति से आराजी का विभाजन होने के पर मोहनलाल को ख0नं0 147.1 की 1.06 बीघा, मदनलाल को ख0नं0 1471/2784 रकबा 1.04 बीघा व भंवरीबाई को ख0नं0 1471/2785 की 1.04 बीघा आराजी मिली है। मोहनलाल की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र, पुत्री व बेवा जो प्रति0नं0 4 लगा0 7 का नाम खाते में दर्ज हुआ है। भंवरीबाई ने अपने हिस्से में से 666.66 वर्गमीटर भूमि कृषि से आबादी भूमि में परिवर्तन करा लिया था, इसके बाद 01 बीघा 1.5 बिस्वा कृषि भूमि शेष बचती है। वादी नं0 1 भंवरीबाई की पुत्री है तथा वादी नं0 2 महेंद्र, भंवरीबाई की पुत्री गीताबाई का लड़का है। भंवरीबाई ने दिनांक 25.11.2005 को उप पंजीयक खानपुर के यहां अपनी अंतिम वसीयत पंजीकृत करायी थी, जो मदनलाल के पास थी। खातेदार भंवरीबाई की मृत्यु वसीयत के आधार पर इंतकाल खुलना चाहिये था किन्तु बिना सुनवाई का अवसर दिये ही इंतकाल नं0 2329/5.2.04 वादी नं0 1 व प्रति0नं0 2 लगा0 7 के नाम तस्दीक कर दिया जो कानून के विरूद्ध है। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खातेदार भंवरीबाई के खाते की शेष 01 बीघा 1.5 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

भूमि का वादीगण व प्रतिवादी आशा, प्रेमबाई खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं। हम वादीगण व प्रति0 नं0 1, 2, 3 ने राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। प्रति0नं0 4 लगा0 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अतः हमारा वाद राजीनामें के आधार डिकी किया जावे तथा ग्राम खानुपर की वादग्रस्त आराजी 01 बीघा 1.5 बिस्वा का वादीगण व प्रति0नं0 1, 2 को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। प्रति0नं0 3 लगा0 7 का नाम खाते से खारिज किया जावे तथा हमारे 1/2 हिस्से का विभाजन किया जावे। अलग खाता व लगान कायम किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। Exp5 ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2059–62 की खतौनी सं0 406 पर ख0नं0 1471/2785 की 1.04 बीघा आराजी भंवरीबाई बेवा गजानंद खाती के खाते दर्ज है। Exp7 ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2067–70 की खतौनी सं0 473 पर ख0नं0 1471/2785 की 1.04 बीघा आराजी भंवरीबाई के वारीसान पुत्र मदनलाल, पुत्रियां गीताबाई, संतोषबाई, प्रेमबाई हि0 4/5, मृतक मोहनलाल के वारिसान पुत्र विजयकुमार, तिलकराज, पुत्री नीतू, बेवा कैलाशबाई हि0 1/5 के खाते दर्ज है। Exp1 खातेदार भंवरीबाई द्वारा दिनांक 25.11.2005 को पंजीकृत करायी गयी वसीयत है, जिसमें भंवरीबाई ने अपने खाते की आराजी ख0नं0 1471/2785 की 1.04 बीघा की वसीयत आशाबाई, प्रेमबाई, संतोषबाई, महेंद्र के नाम की गयी है। दिनांक 03.04.2019 को वादीगण एवं प्रति0 1, 2, 3 ने न्यायालय में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। इस राजीनामा में वादीगण एवं प्रति0नं0 1, 2, 3 ने भंवरीबाई द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी खाते दर्ज किये जाने की सहमति दी है। प्रति0नं0 4, 5, 6, 7 एवं इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। चूँकि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना के अनुसार राजीनामा पेश किया है। ऐसे में इस वाद का निस्तारण प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद, वादी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जाता है तथा ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2059–62 की खतौनी सं0 406 पर ख0नं0 1471/2785 की 1.04 बीघा आराजी में वादी नं0 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से का एवं प्रति0नं0 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है तथा पक्षकारान के उक्त हिस्से का विभाजन किये जाने की आज्ञा भी पारित की जाती है। वर्तमान खातेदार मदनलाल, गीताबाई, संतोषबाई, प्रेमबाई, विजयकुमार, तिलकराज, नीतू, व कैलाशबाई का नाम खाते से खारिज हो। प्रस्तुत राजीनामा दि0 03.04.2019 निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 का खाता प्रथक किये जाने हेतू तहसीलदार खानपुर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी पर आने जाने के रास्ते का प्रावधान करते हुये अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। वादी अंतिम डिकी हेतू स्टाम्प पेश करें। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25/04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner